THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Branch Office:_______________
Address__________________________

Contract No.______ Date: ---------------

Broker's Name : __________
________________________ Mode of Sales: Firm / Indent
____
____
____

Sub: Sale Contract format for Mill Buyers

It is confirmed that the Cotton Corporation of India Ltd., hereinafter referred to as "the Seller" has sold and the____________________________ Mills Ltd., having its Registered Office at ______________________________ hereinafter referred to as "the Buyer" has purchased from the Seller _______ bales of indigenous cotton on the terms and conditions set out herein below:

Indent No./ Date	Quantity in bales	Variety	Branch	Crop Year	Spot Rate	
					Per Candy Rs.	Per Qntl. Rs.

TERMS & CONDITIONS:

1. DEPOSIT MONEY:

a) The buyer shall pay within 10 working days from the date of contract, a minimum amount of Rs. ____ per bale towards Deposit. For deliveries under GSF, buyer mill have to deposit additional Rs. 500/- per bale as advance, which shall be used towards payment of sales tax and other incidentals. The said amount will be adjusted proportionately with each delivery and shortfall, if any, will be made good in such a manner that Rs.____ per bale of all the contracted cotton remaining to be delivered under different indents will be maintained at all the time till the entire contracted cotton is lifted. Buyer's failure to deposit advance value of the contracted cotton within the stipulated time shall make the contract liable for cancellation at the option of the Seller.

b) However, the new buyers who are approaching CCI for the first time will be required to pay a minimum amount equivalent to Rs. 1000/- per bale towards Deposit.
c) Interest benefit on proportionate deposit of lifted bales will be allowed at the rate of ____% p.a. from the date of realization of deposit till adjustment on delivery.
d) In case of lifting of bales from GSF, interest benefit on 80% of the deposit of lifted bales will be allowed at the rate of ____% p.a. only on proportionate advance deposit adjusted after deduction of Central Sales Tax. In case VAT is applicable @ 4%, interest benefit will be given only on balance 60% of the deposit adjusted.

2. **SELECTION OF THE CONTRACTED COTTON:**

The Buyer or its representative shall select the cotton under this contract within three days from the date of offering, however, such selection shall be prior to the date of delivery of the cotton. The CCI shall offer the bales within specified period as under: -

	Sale Quantity	**Offering Period**
I.	Less than 600 bales	Within 10 days from the date of Contract
II.	Less than 3000 bales	Within 20 days from the date of Contract
III.	3000 bales & above	Within 20 days from the date of contract– 50% of the contracted quantity. Within 40 days from the date of contract – balance 50% of the contracted quantity.

In case bales are not offered within specified period then additional free period will be given proportionately on un-offered quantity. The quantity offered shall be 120% of the contracted quantity to enable buyer to complete selection. If the contracted quantity is less than 600 bales, the buyer has to make 100% approval without any shortfall and for quantity exceeding 600 bales, a minimum 90% of the contracted quantity has to be selected and approved. However, the Buyer shall be entitled for free delivery period based on actual quantity approved. The Buyer or its authorized representative should fully satisfy itself before completing selection. Selection once made as per the indicated quality parameters shall be final and no dispute, whatsoever, regarding quality shall be entertained in respect of the cotton selected.

3. **WEIGHMENT, DELIVERY AND PAYMENT TERMS:**

Buyer shall be entitled to a free delivery period to take delivery of the contracted cotton against full payment of cotton value and taxes, as detailed hereunder:-

a) _________________ days from the date of contract.

b) ________________ days from the date of intimation of readiness of cotton bales.

100% weighment of bales shall be carried out at spot at the time of delivery in the presence of the Buyer's representative/controller and such weighment shall be final and binding. In case of advance payment by the Buyer, the payment shall be worked out for weight calculated at the rate of 48 candies in case of Guntur branch and 47 candies in case of all other branches per 100 bales. All sales shall be on spot basis & expenses after weighment, shall be on the Buyer's account.

The Buyer shall make all payments in crossed A/c Payee Demand Drafts, Pay Orders, Banker's Cheques in favour of the Corporation or by means of Electronic Fund Transfer in Bank Account of the Corporation only. In case of payment by cheques, or through Electronic Fund Transfer delivery shall be allowed to take place only on confirmation of realization of payment in the Seller's account.

The Buyer has to effect payment and take delivery of bales within the free period given from date of contract/date of confirmation. In case of failure on the part of the Buyer to do so, the contract is liable to be cancelled at the option of the Seller. In the event of such a cancellation, the Seller shall be entitled to resell the entire or balance quantity thereof, at any time and in any manner it deems fit and at the same time, reserving its right to recover any damage/losses sustained by such resale.

4. CARRYING OF COTTON:

Without prejudice to the provisions stated above, the seller may carry or hold cotton on behalf of the buyer beyond free delivery period, subject to buyer complying with the following conditions:

a) The buyer shall make a request to the seller to carry cotton on its behalf, before expiry of free delivery period or give lifting schedule for the balance unlifted quantity. The buyer shall also make advance payment of carrying charges up to the period cotton is required to be carried over.

b) The rate of carrying charges shall be as mentioned hereunder:

@ ____% per month per 30 days for first 60 days and thereafter @ ____% per month per 30 days till the delivery of cotton. The amount of carrying charges shall be calculated on monthly rest basis. Till payment of the price of the bales to be delivered is fully realized, carrying charges as per the aforesaid rates shall be chargeable. Such carrying charges will be paid in advance as stated in para 4(a) above or along with the price of the

contracted cotton before lifting of bales under this contract as the case may be.

If the due date for payment falls on holiday (declared by the Corporation)/ Sunday, the next working day shall be considered as due date for the purpose of calculating the carrying charges.

Notwithstanding the above conditions and without any prejudice thereto, the Seller may carry cotton or any part thereof on behalf of Buyer for a maximum period of 90 days after the expiry of free period or for such further extended period as may be allowed at the entire discretion of the Seller. The Buyer shall make full payment of value of cotton and due amount of carrying charges against deliveries during extended period. If payment is not made and delivery not taken within such extended period also, the Seller may forfeit the said advance payment inclusive of advance payment made towards carrying charges and resell the cotton at any time and in any manner it deems fit and recover the losses/damages from the Buyer, if any, sustained in such a resale, inclusive of price difference, carrying charges and interest. The provisions under this contract with respect to a breach of the contract shall be invoked and operated automatically without any need for a notice from the Seller to the Buyer.

5. LATE LIFTING CHARGES:

If after making payment of the value of cotton sold under this contract, the Buyer does not take physical delivery of cotton within twenty days from the date of making payment, the Buyer shall be liable to pay late lifting charges @ 0.50% per month per 30 days from 21st day of payment of such unlifted stock till the delivery of cotton is taken.

6. CASH DISCOUNT:

The buyer shall be entitled for cash discount at the rate of ___% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period i.e. for the number of days for which payment is realised earlier than required as per terms of the contract.

In case of deliveries under L/C and B/G the cash discount @ ___% p.a. on pro-rata basis for unavailed free period from the date of realisation of payment will be allowed by the Corporation provided

a. The discounting of L/C is done at the request of the buyers and "without recourse to the drawer".
b. All the expenditure in connection with discounting of L/C is borne by the buyers.

7. SALES TAX / VALUE ADDED TAX (VAT) :

The Buyer shall pay Sales Tax/VAT on the value of cotton at the rate applicable on the date of taking delivery. Buyer registered under the relevant Sales Tax Act shall furnish necessary 'C' forms / Declaration forms within 60 days after the end of the quarter in which deliveries are taken (subject to change, in case change in CST Act/Rules). Failure to provide 'C' form/Declaration forms shall entitle the seller to recover additional Sales Tax from the buyer at the difference in CST rate and VAT rate applicable in the dispatching State.

8. INTEREST:

The rate of interest on old dues, deliveries under clean credit, L/C and against Bank Guarantee will be PLR plus 1% per annum, on monthly rest basis. The PLR mean the prevailing PLR of Bank of Baroda.

9. PENAL RATE OF INTEREST:

Penal Interest on overdue UB, L/C and Bank Guarantee will be charged @ PLR plus 3% per annum on monthly rest basis. The PLR mean the prevailing PLR of Bank of Baroda

10. SERVICE CHARGES ON GSF BALES UNLIFTED FOR MORE THAN 30 DAYS :

In case the buyer is granted GSF facility and the bales remain unlifted for more than 30 days from the date of receipt of bales in GSF godown, service charges @ Rs.10/- per bale for each 30 days will be charged from the buyer. In case of part of month Rs.5/- per bale for the period of 15 days or less and Rs.10/- per bale for more than 15 days upto 30 days will be charged from the buyer.

11. PROCESSING FEES IN CASE OF DELIVERY AGAINST L/C AND ITS DISCOUNTING.

The Seller shall charge processing fees on each L/C discounted @ 0.10% of its value or Rs.200/-, whichever is higher.

12. ARBITRATION:

In case of any dispute or difference arising out of or in relation to the contract, except any dispute regarding the quality of cotton which is specifically excluded under clause 2 of the Contract, will be referred to an Arbitrator (other than an employee of the Seller) to be appointed by the Director (Marketing) or the Director (Finance) of the Seller and the decision of the Arbitrator shall be final and binding upon the parties hereto. The Arbitration will be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory amendments or re-enactment thereof.

13. <u>FORCE MAJEURE:</u>

a. Should any circumstances beyond the control of the Seller such as natural calamity, strike, riot, elements, war, quarantine, fire or any act of circumstances of force majeure, the contract shall be cancelled to the extent of damage/destruction/shortfall arising due to the above causes. The Seller shall intimate quantum of such shortfall to the Buyer within 30 days. The Buyer hereby categorically agrees to such cancellation of shortfall quantity and shall neither have recourse to any action, legal or otherwise, nor demand any compensation in respect thereof.

b. However, in respect of contracts, where advance payments in the account of seller has been received in respect of bales approved, the claim as settled by the Insurance Company on account of fire damages shall be passed on to the Buyers and in all such cases, the contracted quantity will be reduced to the extent of fire damage.

The duplicate copy of this contract duly signed by the Buyer be returned within 7 days from the receipt of the contract in token of confirmation of all the terms and conditions of this contract. If signed copy is not received within stipulated time, the contract shall be treated as accepted and confirmed by the Buyer.

FOR THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

WE CONFIRM

(AUTHORISED SIGNATORY)

For & on behalf of the Buyer

(Name of the Authorised person with Seal)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

शाखा कार्यालय:_______________

पता ____________________________________

संविदा सं. ___________ दिनांक: __________

ब्रोकर का नाम____________________

बिक्री का प्रकार: फर्म/मांगपत्र

____

____

____

विषय :- मिल खरीददार के लिए बिक्री संविदा का प्रोफार्मा

यह पुष्टि की जाती है कि भारतीय कपास निगम लि. ने, जिसे आगे "विक्रेता" कहा जायेगा, जिसने गाँठें बेची हैं तथा -------------------------------- मिल लि. ने, जिसका पंजीकृत कार्यालय -------------------------------- में है और जिसे आगे "क्रेता" कहा जायेगा, विक्रेता से देशी कपास की --------गॉठें निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर खरीदी हैं :

मांगपत्र सं./दिनांक	मात्रा गॉठों में	किस्म	शाखा	उपज वर्ष	**स्पॉट दर**	
					प्रति कैंडी रू.	प्रति क्विंटल रू.

नियम एवं शर्ते :

1. जमा राशि :

क) क्रेता संविदा की तारीख से 10 कार्य-दिवसों में प्रति गाँठ के लिए न्यूनतम _____ रू. की राशि जमा करेगा । गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत, सुपुर्दगी के लिए क्रेता मिल को प्रति गाँठ 500/- रू. की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी, जिसका उपयोग बिक्री कर तथा अन्य अनुषंगिक खर्चो के लिए किया जाएगा । उक्त राशि का प्रत्येक सुपुर्दगी के साथ अनुपातिक रूप से समायोजन किया जाएगा तथा यदि कोई कमी होगी उसकी पूर्ति इस प्रकार की जायेगी कि विभिन्न मांग-पत्रों के अधीन सुपुर्दगी के लिए शेष संविदागत कपास के मूल्य का प्रति गाठं ______/- रू. संपूर्ण संविदागत कपास के उठाव तक बना रहेगा । क्रेता द्वारा संविदागत रूई के मूल्य की अग्रिम राशि निर्धारित समय में जमा न करने पर विक्रेता को संविदा रद्द करने का अधिकार होगा ।

ख) फिर भी, नए क्रेता जो पहली बार सीसीआई को संपर्क कर रहे हैं, उन्हें जमा राशि के रूप में प्रति गाँठ 1000/- रू. के समकक्ष न्यूनतम राशि का भुगतान करना आवश्यक है ।

ग) कथित गाँठों के उठाव के लिए प्राप्त जमा राशि पर, जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से उठाई गई गाँठों के भुगतान की प्राप्ति तक अनुपातिक रूप से ब्याज का लाभ ---% प्रतिवर्ष की दर से दिया जायेगा ।

घ) यदि उठाई गई गाँठें गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत हैं, तो उठाई गई गाँठों की 80% जमा राशि पर ब्याज का लाभ केन्द्रीय बिक्री कर कटौती के पश्चात जमा अग्रिम पर अनुपातिक रूप से ----% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा । यदि वैट 4% की दर से लागू है, तो जमा राशि के समायोजन के 60% शेष पर ही ब्याज का लाभ दिया जाएगा ।

2. संविदागत रूई का चयन :

क्रेता या उसका प्रतिनिधि इस संविदा के अंतर्गत प्रस्ताव की तारीख से 3 दिन के अंदर रूई का चयन करेगा, तथापि यह चयन रूई की सुपुर्दगी की तारीख से पूर्व होगा । सीसीआई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर गाँठों का प्रस्ताव देगा :-

	बेची गई मात्रा	**प्रस्तावित अवधि**
I.	600 गाँठों से कम	संविदा की तारीख से 10 दिन के अंदर
II.	3000 गाँठों से कम	संविदा की तारीख से 20 दिन के अंदर
III.	3000 गाँठें या उससे अधिक	संविदा की तारीख से 20 दिनों के अंदर-संविदागत मात्रा का 50% तथा संविदा की तारीख से 40 दिन के अंदर संविदागत मात्रा का शेष 50%

यदि विनिर्दिष्ट अवधि में गाँठें प्रस्तावित नहीं की जाती है, तो अप्रस्तावित मात्रा पर यथानुपात अतिरिक्त निःशुल्क अवधि दी जाएगी । प्रस्तावित मात्रा संविदागत मात्रा का 120% होगी, ताकि खरीददार चयन पूरा कर सके । यदि संविदागत मात्रा 600 गाँठों से कम है, तो क्रेता को मात्रा में कमी किए बिना 100% अनुमोदन देना होगा तथा 600 गाँठों से ऊपर मात्रा के लिए संविदागत मात्रा के न्यूनतम 90% का चयन करना होगा। तथापि, क्रेता वास्तविक अनुमोदित मात्रा के आधार पर निःशुल्क सुपुर्दगी अवधि का हकदार होगा । क्रेता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को चयन पूरा करने से पूर्व अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट करना होगा । दिग्दर्शित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार एक बार किया गया चयन अंतिम होगा तथा चयनित रूई की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार के विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. <u>तुलाई, सुपुर्दगी और भुगतान की शर्तें</u> :

खरीददार, रूई के मूल्य तथा कर के संपूर्ण भुगतान के सामने संविदागत रूई की सुपुर्दगी लेने के लिए नि:शुल्क सुपुर्दगी अवधि हकदार होंगे, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क) संविदा की तारीख से ------ दिन
ख) कपास गाँठों की तैयारी की सूचना की तारीख से --- दिन

क्रेता के प्रतिनिधि /नियंत्रक की उपस्थिति में सुपुर्दगी के स्पॉट पर गाँठों की 100% तुलाई की जायेगी और इस प्रकार की तुलाई अंतिम एवं बाध्यकारी होगी । क्रेता द्वारा अग्रिम भुगतान की स्थिति में, गुन्तूर शाखा के लिए 48 कैंडीज तथा अन्य शाखाओं के लिए 47 कैंडीज प्रति 100 गाठों के दर पर गिने गए वजन के आधार पर भुगतान बनाया जायेगा । सभी प्रकार की बिक्री स्पॉट आधार पर होगी तथा वजन के बाद के खर्च क्रेता के खाते पर होंगे ।

क्रेता द्वारा सभी प्रकार का भुगतान निगम के पक्ष में आहरित केवल क्रास्ड ॲकाऊंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, पे-आर्डर, बैंकर्स चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर द्वारा ही निगम के बैंक अकाऊंट में किया जायेगा । चैक द्वारा या इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के जरिये भुगतान के मामले में विक्रेता के खाते में भुगतान की राशि जमा होने की पुष्टि के पश्चात ही सुपुर्दगी करने की अनुमति दी जायेगी

क्रेता को संविदा की पुष्टि की तारीख से दी गई नि:शुल्क अवधि के अंदर गाँठों का भुगतान करना होगा और सुपुर्दगी लेनी होगी । यदि क्रेता की ओर से ऐसा नहीं किया जाता है तो विक्रेता को संविदा रद्द करने का अधिकार होगा । इस प्रकार के रद्द होने की स्थिति में विक्रेता को संपूर्ण या शेष मात्रा को किसी भी समय किसी भी प्रकार, जैसा उचित समझे, उसकी पुन: बिक्री का अधिकार होगा और इस प्रकार की पुनर्बिक्री में हुई क्षति /हानि की वसूली करने का भी अधिकार होगा ।

4. <u>रूई का रखरखाव</u> :

ऊपर बताये गये प्रावधानों के होते हुए भी, विक्रेता क्रेता की ओर से नि:शुल्क सुपुर्दगी अवधि के आगे रूई का रखरखाव कर सकता है अथवा रूई रोक सकता है, बशर्ते कि खरीददार निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करें :

क) क्रेता विक्रेता को लिखित रूप में नि:शुल्क सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने के बाद उसकी ओर से रूई रखने का अनुरोध करेगा तथा न उठाई गई शेष मात्रा के लिए गाँठें उठाने की समय सारणी देगा । क्रेता जिस अवधि तक रूई रखना चाहता है, उसके रख-रखाव प्रभार का अग्रिम भुगतान करेगा ।

ख) रख-रखाव प्रभार की दर नीचे बताये अनुसार होगी :

नि:शुल्क सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात् पहले 60 दिनों तक 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए @______% तथा उसके पश्चात् 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए सुपुर्दगी तक @______% की र से होगा । रखरखाव प्रभार की राशि की गणना मासिक आधार पर की जाएगी । जब तक सुपुर्द की जाने वाली गाँठों का पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ऊपर कथित दर के अनुसार रखरखाव प्रभार लिया जाएगा । इस प्रकार के रख-रखाव प्रभार का भुगतान पैरा-4(क) में बताये अनुसार करना होगा या इस संविदा के अंतर्गत गाँठें उठाने के पूर्व संविदागत रूई के मूल्य के साथ, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा ।

यदि भुगतान की देय तिथि छुट्टी को (निगम द्वारा घोषित) /रविवार होती है, तो रख-रखाव प्रभार की गणना के लिए अगला कार्य दिवस देय तिथि माना जायेगा ।

उपर्युक्त शर्तो के होते हुए तथा उस पर पूर्वाग्रह के बिना, विक्रेता क्रेता की ओर से संपूर्ण कपास या उसका कुछ भाग नि:शुल्क अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम 90 दिन के लिए अथवा पूर्णत: विक्रेता के स्वविवेक पर अनुमति प्राप्त, आगे विस्तारित अवधि तक रख सकता है । क्रेता को विस्तारित अवधि के दौरान कपास के मूल्य का और रख-रखाव प्रभार की राशि का पूरा भुगतान करना होगा । यदि भुगतान नहीं किया जाता है और सुपुर्दगी विस्तारित अवधि के अंतर्गत नहीं ली जाती है, तो विक्रेता को अधिकार है कि इस प्रकार की अग्रिम राशि, जिसमें रख-रखाव प्रभार की राशि शामिल है, को जब्त कर ले तथा अपनी सुविधा के अनुसार, समय पर रूई की पुन: बिक्री कर दे तथा क्रेता से इस प्रकार की पुन: बिक्री पर हुई हानि/क्षति की वसूली करे, जिसमें मूल्य अंतर, रख-रखाव प्रभार और ब्याज शामिल हैं । इस संविदा के अंतर्गत संविदा को भंग करने के बारे में प्रावधान स्वत: उद्धृत और परिचालित होंगे, जिसके लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

5. <u>देर से उठाने पर प्रभार</u> :

यदि इस संविदा के अंतर्गत बेची गयी कपास के मूल्य का भुगतान के पश्चात् क्रेता भुगतान करने की तारीख से 20 दिन के अंदर रूई की सुपुर्दगी नहीं लेता है, तो क्रेता को 21वें दिन से 30 दिनों के प्रत्येक माह के लिए 0.50% की दर पर इस प्रकार के न उठाये गये स्टॉक के लिए सुपुर्दगी लेने तक, देर से उठाने का प्रभार देना होगा ।

6. <u>नकद छूट :</u>

क्रेता ---% प्रति वर्ष की दर से उपयोग न की गयी नि:शुल्क अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर नकद छूट प्राप्त करने का पात्र होगा यानि संविदा की शर्तों के अनुसार अपेक्षा के पूर्व प्राप्त भुगतान के दिनों की संख्या के लिए ।

यदि निगम द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार एल/सी तथा बी/जी के अंतर्गत नि:शुल्क अवधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भुगतान की तारीख से उपयोग में न लायी गयी अवधि के लिए ___% की दर से अनुपातिक आधार पर छूट की अनुमति निगम द्वारा निम्नलिखित के अधीन दी जायेगी :-

क) क्रेता के अनुरोध पर तथा "आहरण कर्ता को रिकोर्स के बिना" साख-पत्र की डिस्काऊंटिंग ।

ख) साख-पत्र की डिस्काऊंटिंग से संबंधित सभी प्रकार के खर्च को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. बिक्री कर /वैल्यू ऍडेड टैक्स (वैट):

क्रेता कपास के मूल्य पर सुपुर्दगी लेने की तारीख पर लागू कर/वैट का भुगतान करेगा । संगत बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत क्रेता को प्रत्येक तिमाही के समाप्ति, जिसमें सुपुर्दगी ली गयी, के बाद 60 दिन के अंदर आवश्यक 'सी' फार्म/घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए (सीएसटी अधिनियम/नियमावली में यदि परिवर्तन होता है, तो उसके अधीन) "सी" फार्मस /घोषणा फार्मस की प्रस्तुत न करने पर विक्रेता को क्रेता से भेजनेवाले राज्य में लागू सीएसटी दर और वेट दर में अंतर पर अतिरिक्त बिक्री कर वसूल करने का अधिकार होगा ।

8. ब्याज :

पुरानी देय राशि, क्लीन क्रेडिट के अंतर्गत सुपुर्दगी, साख-पत्र तथा बैंक गॉरंटी के सामने ब्याज की दर प्रतिवर्ष पीएलआर में 1% जोड़ते हुए होगी । पीएलआर का तात्पर्य बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएलआर है ।

9. ब्याज का दांडिक दर :

अति देय यूबी, एल/सी तथा बैंक गॉरंटी पर मासिक रेस्ट आधार पर प्रतिवर्ष पीएलआर में 3% जोड़ते हुए दर से दांडिक ब्याज लगाया जाएगा । पीएलआर का तात्पर्य बैंक ऑफ बड़ौदा के पी. एल आर है ।

10. गोदाम भंडारण सुविधा की 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए न उठायी गयी गाँठों के लिए गोदाम प्रभार :

यदि गोदाम भंडारण सुविधा गोदाम में गाँठों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक गाँठें नहीं उठायी गयी, तो क्रेता से 30 दिन की अवधि के लिए प्रति गाँठ 10/- रू. का सेवा प्रभार होगा । यदि 15 दिन या उससे कम अवधि के लिए प्रति गाँठ 5/- रू. या 15 दिन से अधिक या 30 दिनों तक क्रेता को 10/- रू. प्रति गाँठ होगा ।

11. साख-पत्र तथा उसके डिस्काऊंटिंग के सामने सुपुर्दगी के मामले में संसाधन शुल्क :

विक्रेता प्रत्येक डिस्काऊंटिंग साख-पत्र पर उसके मूल्य के 0.10% की दर से या 200/- रू., जो भी अधिक हो, का संसाधन प्रभार लगाएगा ।

12. मध्यस्थता :

कपास की गुणवत्ता के बारे में किसी विवाद को, जिसे संविदा के खण्ड-2 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छोड़ा गया है, छोड़कर इस संविदा से संबंधित या उत्पन्न किसी

विवाद या अंतर के मामले में, उसे विक्रेता के निदेशक (विपणन) या निदेशक (वित्त) द्वारा नियुक्त किसी मध्यस्थ (विक्रेता के किसी कर्मचारी के अलावा) को भेजा जायेगा तथा मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जायेगा । मध्यस्थता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा या किसी सांविधिक संशोधनों या पुनर्धिनियम द्वारा नियंत्रित किया जायेगा ।

13. <u>अपरिहार्य घटना :</u>

क) विक्रेता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों में जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगे, भौतिक, युद्ध, संक्रामक रोग, अग्नि या अपरिहार्य घटना की परिस्थितियों के कारणों से हुए नुकसान /विनाश /कमियों की सीमा तक संविदा रद्द हो जायेगी । विक्रेता इस प्रकार की कमी की मात्रा के बारे में क्रेता को 30 दिन के अंदर सूचित करेगा । खरीददार एतदद्वारा रद्द की गई कम मात्रा के लिए सहमत होगा और इसके लिए विधिक कार्रवाई नहीं करेगा, न ही उसके संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करेगा ।

ख) तथापि, संविदा के संबंध में, जहाँ अनुमोदित गाँठों के संबंध में विक्रेता के खाते में अग्रिम का भुगतान जमा हुआ है, तो अग्नि में क्षति के लिए बीमा कंपनी द्वारा निपटान किए गए दावे को खरीददार को सौंपा जाएगा तथा ऐसे सभी मामलों में, अग्नि में नुकसानी की सीमा तक संविदागत मात्रा कम की जाए्गी ।

खरीददार द्वारा इस संविदा दूसरी प्रति विधिवत हस्ताक्षर करते हुए 7 दिन के अंदर उपरोक्त वर्णित सभी निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति के रूप में वापस करनी चाहिए । यदि हस्ताक्षरित प्रति निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होती है, तो संविदा को खरीददार द्वारा स्वीकृत तथा संपुष्ट माना जायेगा ।

कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

हम पुष्टि करते हैं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

के लिए/की ओर से हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी मोहर के साथ नाम)